प्राक्कथन

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 2019-22 की अवधि को आच्छादित करते हुए 'एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आई एफ एम एस)' पर लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को सम्मिलित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 2019-22 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए हुए दृष्टांतों तथा जहां भी आवश्यक हो, वर्ष 2021-22 के बाद की प्रगति को भी शामिल किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा का सम्पादन किया गया है।

लेखापरीक्षा, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में प्रदान किए गए सहयोग हेतु आभार व्यक्त करता है।